

प्रकल्प 2 (नियम 11 (4) देखिए)

जिला का अधिकारी

नियम 11
नियम 11 (4)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (SATNA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

मैट्रिक्स:-

ई-मेल:-

टिलोंक:-

क्रमांक: /13081568/स्कूल आई.डी. - 1014
प्रति,

प्रबंधक,

(CHRIST JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL, SATNA)

विषय: नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल सहायता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पर दिनांक 26/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रशान्तवती पत्र द्वारा नियमानुसार संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -CHRIST JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL, SATNA, CHRIST JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL
P. B. NO. 22, REWA ROAD, SATNA, M.P. को कक्ष Nursery से कक्ष 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक
वालावधि के लिए सहायता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्टॉलहरि नियमानुसार शिक्षा की प्रतीक के अधिकार होगी:-

- सहायता दिसतारित नहीं होनी तथा कक्ष 8 से आगे वी मान्यता/स्वदत्ता की कोई वापर्यता विद्या भी रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांच 1) तथा नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांच 2) के उपरोक्त तत्व वालन करेगा।
- स्कूल, अपने प्रधारी की सीमा के बाहिर समझ तथा कक्षों के बालकों को कक्ष 1 से न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि से, स्कूल यदि राज्यता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात से नियुक्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस स्पष्ट में उसके वार्षिक आवासी व्यव जो पूरा करने हेतु इस पक्षकर वार्षिक आवासी सहायता या अनुदान प्राप्त होता है विन् देगा। यह न्यूनतम प्रतिशत प्रतिशत के अधीन होगा वार्षीय यि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि रन्फूल) शिक्षा ही जाती है वहाँ अधिनियम नी धारा 12 की उपांच (1) के बाब्त (का) से (ग) के उपरोक्त प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में निहित बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यव में प्रतिष्ठित की जाएगी तथा ऐसी प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।

- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-
- (अ) अनु के स्वतंत्र के असाध हो;
- (ब) दृष्टि प्रवेश के लिए विहित वी गई विस्तारित वालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
- (ग) इन्हे, जाति या मूल्यवाची उन्मत्यान या इनमें से विद्या भी उपायर पर।

- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से विद्या वक्ता ने रोमण या नियमानुसार नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को भारीरिक या मानसिक स्पष्ट से प्रतिहित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई दौड़ परीक्षा उत्तीर्ण करने वी आवश्यकता नहीं होगी;
 - धारा 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाहे प्रत्येक बालक को रोमण पर दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपरोक्त के अनुसार विशालविशेष आवासकता बाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन नियोजित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अली जी जाएगी, उपर्तु कि बताना में बालरस जो विकास इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, उन्हे अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में नियोजित न्यूनतम अहता प्राप्त करने होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिश्चित स्वतंत्र्यों का पालन करना होगा;

Signature valid

Digitaly signed by
TARUN NARAYAN SINGH
Date: 05/04/2021 11:15
Location: N.C.

स्कूल समूचित प्रारंभिक व्यव विधिविवरित पाठ्यचयों का अनुसार करेगा।
अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

- स्कूल व्यापार अधिनियम की धारा 19 में विनियोग स्कूल के मालक एवं मानदण्ड दस्ताव रखे जाएंगे। अहिन निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

तुलिथार्ड

पोर्टल से दर्जे

वास्तविक स्थिति

8.	स्कूल के मालक की विधति	सचय का भवन	सचय का भवन
9.	स्कूल का मुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	137647	137647
10.	स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	32150	32000
11.	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	66051	65000

D. अधीसंरचना का विवरण

Results as

पोर्टल से दर्जे

वास्तविक हितिहास

	पर्याय	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1.	कक्षा अठवीं तक उपयोग में 30 रहे कक्षा कक्षा	52	440	52	440	
2.	कार्यालय कक्षा-कक्ष-भैषजाकार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा	3	440	3	440	
3.	भैषजानाय-सह-भैषजाकार	0	0	0	0	

E. अल्प तुलिथार्ड

पोर्टल से दर्जे

वास्तविक हितिहास

1.	सभा तथा सुविधाओं का संग्रह वर्तमान है इनमें	हों	हों
2.	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हों	हों
3.	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हों	हों
4.	पुस्तकों की संख्या	10336	10336
5.	परिवर्तन/कलानाचार वर्त	15	15
6.	दैवतीस सुविधा का प्रबन्ध	Tube Well	Tube Well
7.	वेगवज्जत सुविधा की संख्या	30	30
8.	शीघ्रताप का प्रकार (इवलोय/पर्फिलो/नहीं)	Indian	Indian
9.	तड़कों के लिए सूचक शौधालयों की संख्या	45	6
10.	तड़कियों के लिए पृथक शौधालयों की संख्या	40	6
11.	उच्चालान वार्षों के लिए उपयुक्त शौधालयों की संख्या	1	0
12.	सभा अग्रिम सुरक्षा पराली उपलब्ध है ? हालांकि	हों	हों

- वेदों संपर्कित किए जाएंगे तथा चार्टेड एकाउन्टेंट व्यापार संस्थापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार देखार होंगा। यहांक लेखार्ड के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष विला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का नाम्यता कोड सम्बन्ध 13081568.. एवं डाइस्कोड (DISC) 23130717094 है। इस नाम्यताप के साथ पात्राचार में यह लेखा संदर्भित किए जाएं।
- ऐसा रिपोर्ट और जनकारी स्कूल व्यापार प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा बोर्ड/किला शिक्षा अधिकारी व्यापार समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अधिकारी नाम्यता की शर्ती की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित बनाने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटीन्यास, यटि मोइं हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य रहे इलमन उपक्रम 'लीन' के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियमों के उपक्रमी और नाम्यता की शर्ती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद् हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अवधीय,

जिता शिक्षा अधिकारी

जिला SATNA

मार्गदर्शन